भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *176

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

सड़क उपरि पुल (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) की आवश्यकता

*176. श्री नारायणदास अहिरवार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और व्यस्त रेलवे समपारों पर पर्याप्त संख्या में सड़क उपरि पुल (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) की कमी के कारण जनता को गंभीर ट्रैफिक जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे समपारों पर सुचारू यातायात प्रचालन और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य-वार कितने नए सड़क उपरि पुलों और सड़क अधोगामी पुलों को मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन समपारों पर यातायात के जमाव के कारण ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और स्थानीय व्यापार को होने वाले आर्थिक नुकसान का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं की समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

"सड़क उपरि पुल (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) की आवश्यकता" के संबंध में श्री नारायणदास अहिरवार द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *176 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार की नीति सड़क प्रयोक्ता के समय की देरी को कम करने और सुचारू तथा सुरक्षित यातायात संचालन के लिए बाधाओं को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) वाले रेलवे लेवल क्रॉसिंग को सड़क उपरि पुल (आरओबी) या सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) से बदलने का अधिदेश देती है। इसके अलावा, आरओबी/आरयूबी के निर्माण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी लेवल क्रॉसिंग के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 में सेतु भारतम योजना शुरू की गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर सुचारू यातायात संचालन और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अनुमोदित नए आरओबी और आरयूबी की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण या तो एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर या राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड के सुधार/उन्नयन परियोजना के भाग के रूप में व्यवहार्यता और कार्यस्थल (साइट) की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन में ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और रेलवे लेवल क्रॉसिंग सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की भीड़ के कारण स्थानीय व्यापार को होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन शामिल है।

(घ) आरओबी/आरयूबी स्थायी ग्रेड-सेपरेटेड (पृथक) संरचनाएं हैं और एक बार निर्माण हो जाने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही सहित सुचारू और निर्बाध यातायात संचालन प्रदान करती हैं।

अनुलग्नक

"सड़क उपरि पुल (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) की आवश्यकता" के संबंध में श्री नारायणदास अहिरवार द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *176 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित/संस्वीकृत नए आरओबी की संख्या				अनुमोदित/संस्वीकृत नए आरयूबी की संख्या			
	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
आंध्र प्रदेश	0	4	2	14	0	0	0	1
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	4	0	1	0	0	0	0
बिहार	0	8	6	3	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	1	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	2	0	0	0	0	0	0
गुजरात	3	11	0	15	0	1	0	0
हरियाणा	0	0	2	6	0	2	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	3	0	0	0	1
जम्मू और कश्मीर	0	0	1	4	0	0	0	2
झारखंड	2	0	8	8	0	0	2	1

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित/संस्वीकृत नए आरओबी की संख्या				अनुमोदित/संस्वीकृत नए आरयूबी की संख्या			
	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर्नाटक	0	8	4	15	0	1	0	2
केरल	0	0	2	3	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3	7	6	15	0	1	1	1
महाराष्ट्र	6	8	5	8	2	0	0	3
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	5	2	2	5	0	0	0	1
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	2	4	9	0	0	0	0
राजस्थान	1	2	1	7	0	0	0	4
तमिलनाडु	2	6	0	3	0	0	0	0
तेलंगाना	0	1	0	7	0	1	0	0

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित/संस्वीकृत नए आरओबी की संख्या				अनुमोदित/संस्वीकृत नए आरयूबी की संख्या			
	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
त्रिपुरा	0	0	2	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	5	16	23	37	0	2	4	4
उत्तराखंड	0	0	3	1	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	5	0	9	0	1	0	0

*****